न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर
कैम्प कोर्ट झाक

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
राजेन्द्र पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारों का बास ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** :– 1/11/2021

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की पुश्तैनी सहदायिगी की भूमि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 64 रकबा 3.3816 हैक्टेयर आई हुई है। वादी के पिता पेमाराम जी के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1362 में इन्द्राज करते वक्त वादी का नाम रामुराम व वादी की माता का नाम इन्द्रादेवी बेवा पेमाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का नाम राजेन्द्र व वादी की माता का नाम चन्द्रीदेवी है। वादी की माता का देहान्त दिनांक 25.09.2019 को हो चुका है। वादी की माता का देहान्त होने उपरान्त राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराने बाबत् हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब देखा तो वादी का नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नही किया गया व वादी की माता का नाम चन्द्रीदेवी के स्थान पर इन्द्रादेवी दर्ज था। जिस पर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की व वादी के नाम अनुसार राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी को इन्द्राज करने का कहा तो हल्का पटवारी द्वारा वादी का नाम व वादी की माता का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना कर दिया। वादी को अपना व अपनी माता का नाम राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम अनुसार इन्द्राज कराने का कानूनी अधिकार है। वादी का राजेन्द्र के नाम से आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड इत्यादि बने हुए है। जबकि वादी का नाम नामान्तरकरण में राजेन्द्र के स्थान पर रामुराम मानवीय भूल से दर्ज कर लिया गया। जबकि वादी का नाम कभी रामुराम नही रहा। इसी प्रकार वादी की माता का नाम चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम है। वादी के भाई व बहिनो में आपस में किसी प्रकार का विवाद नही है। इसलिए उन्हे इस वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी के माता चन्द्रीदेवी के हक हिस्से की भूमि में वादी व वादी के भाई व बहिनों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम रामुराम के स्थान पर राजेन्द्र व वादी की माता इन्द्रादेवी पत्नी पेमाराम के स्थान पर चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम के रूप में घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम झाक के खसरा नम्बर 64 रकबा 3.3816 हैक्टेयर आई हुई है, जिसमें वादी का नाम रामूराम व माता का नाम इन्द्रादेवी दर्ज है। जरिये विरासत नामा. संख्या 1362 के जरिये वादी का नाम रामूराम पुत्र पेमाराम व माता का नाम इन्द्रादेवी दर्ज हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज में नाम राजेन्द्र पुत्र पेमाराम व माता का नाम चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम दर्ज है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झाक के खसरा नम्बर 64 में वादी का नाम रामूराम पुत्र पेमाराम व इन्द्रादेवी पत्नी पेमाराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र पेमाराम व चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम दर्ज किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान कैम्प कोर्ट झाक में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आव''यकता नही रही। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम झाक के खसरा नम्बर 64 की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076, जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056, म्यूटेशन संख्या 1362, वादी का आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र चंदरीदेवी, पहचान पत्र चन्द्रीदेवी, ग्राम पंचायत झाक का प्रमाण पत्र पे''ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि सम्पूर्ण दस्तावेजात में वादी का नाम रामूराम पुत्र पेमाराम तथा वादी की माता का नाम इन्द्रादेवी पत्नी पेमाराम जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में दर्ज किया हुआ है, तथा आगे की जमाबन्दी में वादी राजेन्द्र का नाम दर्ज नही है तथा वादी की माता का नाम चन्द्रीदेवी के स्थान पर इन्द्रादेवी दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम राजूराम पुत्र पेमाराम के स्थान राजेन्द्र पुत्र पेमाराम तथा वादी की माता का नाम इन्द्रादेवी पत्नी पेमाराम के स्थान पर चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम झाक तहसील बिलाडा के खाता संख्या 94 की भूमि खसरा संख्या 64 रकबा 3.3816 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी संवत्

सहायक कलक्टर
एंव उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

2065 से 2068 के अनुसार दर्ज सयुक्त खातेदार राजूराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र पेमाराम तथा वादी की माता का नाम इन्द्रादेवी पत्नी पेमाराम के स्थान पर चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 1/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
कैम्प कोर्ट झाक

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
राजेन्द्र पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारों का बास ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2020

निर्णय दिनांक :– 1/11/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम झाक तहसील बिलाडा के खाता संख्या 94 की भूमि खसरा संख्या 64 रकबा 3.3816 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार दर्ज सयुक्त खातेदार राजूराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र पेमाराम तथा वादी की माता का नाम इन्द्रादेवी पत्नी पेमाराम के स्थान पर चन्द्रीदेवी पत्नी पेमाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते